न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 168/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– सुमेर सिह पुत्र खुशाल सिह 2– उदय सिह पुत्र खुशाल सिह 3– कान सिह पुत्र खुशाल सिह 4– अर्जुन सिह पुत्र खुशाल सिह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम कांकेलाव तहसील व जिला जोधपुर		1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर 2– जालाराम पुत्र सुखराम 3– पोकरराम पुत्र लाखाराम 4– मुमली पुत्री सुखराम 5– गंवरी पत्नी सुखराम 6– भेंपाराम पुत्र खंगारराम 7– हाऊलाल पुत्र खंगारराम जातियान विश्नोई निवासीगण पीथावास तहसील व जिला जोधपुर 8– भंवरलाल पुत्र मंगलाराम जाति जाट 9– केवराराम पुत्र केसाराम 10–नारायणराम पुत्र केसाराम 11–धर्माराम पुत्र केसाराम 12–देवाराम पुत्र खीयाराम 13–ओपाराम पुत्र खीयाराम 14–सोनाराम पुत्र खीयाराम 15–श्रीराम पुत्र फगलाराम जातियान विश्नोई निवासी पीथावास तहसील व जिला जोधपुर 16–खुशाल सिह पुत्र लादूसिह जाति राजपूत निवासी जालेली फौजदारा तहसील व जिला जोधपुर 17–रम्बा देवी पत्नी लिखमाराम 18–चन्द्राराम पुत्र लिखमाराम 19–डुंगरराम पुत्र लिखमाराम 20–सुरजाराम पुत्र लिखमाराम 21–मुलतानराम पुत्र लिखमाराम 22–ओमाराम पुत्र लिखमाराम 23–गंगा पुत्री लिखमाराम 24–छोटी पुत्री लिखमाराम 25–फुलीदेवी पत्नी रूपाराम 26–मोडाराम उर्फ राकेश पुत्र रूपाराम 27–मंजु पुची रूपाराम 28–रीना पुत्री रूपाराम जातियान नायक निवासी जालेली फौजदारां तहसील व जिला जोधपुर 29–घासीराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी जालेली फौजदारा तहसील व जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–6–2018 जो न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर केम्प कांकेलाव जोधपुर के प्रार्थना पत्र संख्या 30/2017 (23/2017) अनवान तहसीलदार जोधपुर बनाम सुमेरसिह, उदयसिह वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री उम्मेद सिह बांवरला अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–श्री रमेश भादू अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2, 4 व 5 की ओर से ।
4–श्री जेठाराम सेन अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 16 से 19, 21 से 28 की ओर से ।
5–श्री शंकर सिह जाखड अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 15 की ओर से ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 23–7–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार जोधपुर ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे चलाये गये रास्ते संबंधी समस्याओ के निराकरण अभियान 2016 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम कांकेलाव पटवार मण्डल कांकेलाव तहसील जोधपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबरान 624, 629, 626, 628, 623, 622/1, 630, 631, 620, 621, 619, 617, 616 व 605 मे से मोके पर चल रहे रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किये । उक्त प्रस्ताव के सलंग्न उपरोक्त खातेदारो की जमाबंदी की नकले, मौका रिपोर्ट एवं नक्शा आदि प्रस्तुत किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–6–2018 के द्वारा तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तावित खसरान की भूमियो का सलंग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये । साथ ही तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया कि निजी खातेदारी की भूमि मे से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी मे ही रहेगा परंतु नक्शे मे व जमाबंदी मे पृथक खसरा नंबर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज की जायेगी ।साथ जिन खसरो की भूमि मे किस्म गै0मु0पाल दर्ज है, उसकी किस्म परिवर्तन नही की जायेगी तथा सलंग्न नक्शा इस आदेश का अंग समझा जायेगा । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित कथनो को अपनी बहस का अंग सुमार करने का निवेदन किया तथा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये बिना तथा अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति मे विधिविरूद्ध एकतरफा आदेश पारित कियाहै जबकि किसी भी पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकार को आपत्ति प्रकट करने हेतु तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना कानूनन आवश्यक होता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा तामिली प्रकिया अपनाये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि मौके पर अपीलांटगण के खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 624 रकबा 29.19 बिस्वा तथा खसरा नंबर 626 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा भूमि मे वक्त सेटलमेंट से लेकर आज तक किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर नही है परंतु कुछ स्वार्थी तत्वो के कहने पर तहसीलदार ने एकतरफा फर्द मौका दिनांक 9–12–2016 मे अपीलांट की खातेदारी मे से परम्परागत रास्ता बता दिया तथा जिसके

अति० उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवश्यक एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना विधि विरूद्ध व प्राकतिक सिद्धान्तो के विपरीत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए उसका समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार जोधपुर ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग मे आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर, रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रही भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जाने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मे घोषित रास्तो के अलावा पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ते खातेदारो के खेत मे आने जाने के लिए उपलब्ध है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

रेस्पो0 संख्या 16 से 19, 21 से 28 की ओर से अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की तथा उनकी लिखित बहस को ही अपनी बहस का अंग सुमार करने का निवेदन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे उक्त रेस्पो0गण को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना रेस्पो0गण की अनुपस्थिति मे बिना विधिवत तामिल के जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0गण के खातेदारी की भूमि मे किसी प्रकार का सार्वजनिक रास्ता नही चलता है तथा कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 17 से 10 एवं 21 से 28 के खातेदार अनुसुचित जाति के गरीब व्यक्ति है इसलिए अन्य खातेदार जोर जबरदस्ती अपनी पंहुच के कारण अवैद्य तरीके से हमारी खातेदारी मे से रास्ता निकालने का जो आदेश पारित किया है जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

रेस्पो0 संख्या 15 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्तो की समस्याओ के समाधान शिविर के तहत राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे ऐसी भूमियां जिन पर मौके पर कदीमी रास्ते चालू है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे अंकन नही है ऐसी भूमियो के प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार कर प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है,

वकील रेस्पो0 संख्या 15 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मे उन रास्तो को ही चिन्हित कर प्रस्तावित किया है जो मौके पर चालू है तथा कुछ मे ग्रेवल सडके आदि बनी हुई है उन्ही के संबंध मे आदेश पारित किया है इसलिए अपीलांटगण की उक्त अपील खारीज योग्य है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–6–2018 का भी अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3/2/राज–6/2003/पार्ट/04/दिनांक 10–8–2016 जिसमे रास्ते संबंधी समस्याओ के निराकरण बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये थे, उक्त परिपत्र मे ऐसे कदीमी से चले आ रहे सार्वजनिक रास्ते, जो मौके पर चालू है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद नही किया हुआ है, उनको राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने के संबंध मे प्रस्ताव संबंधित पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. से तैयार कर अपनी अभिशंषा के साथ प्रेषित किये गये थे, जिन प्रस्ताव के सलंग्न संबंधित खातेदारो के जमाबंदी की नकले, नक्शे की नकल, मौका रिपोर्ट आदि प्रेषित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 एवं 136 के तहत राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा तथा मौका फर्द आदि का परीक्षण कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–6–2018 के द्वारा तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तावित खसरान की भूमियो का सलंग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये । साथ ही तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया कि निजी खातेदारी की भूमि मे से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी मे ही रहेगा परंतु नक्शे मे व जमाबंदी मे पृथक खसरा नंबर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज की जायेगी । साथ जिन खसरो की भूमि मे किस्म गै0मु0पाल दर्ज है, उसकी किस्म परिवर्तन नही की जायेगी तथा सलंग्न नक़्शा इस आदेश का अंग समझा जायें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–6–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 23–7–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर